रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226672 CG-DL-E-16042021-226672

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538]

No. 1538]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 1655(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 127क के उप-नियम (7) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110क की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (परिवहन) को "नामित अधिकारी" के रूप में नियुक्त करती है।

#### 2. नामित अधिकारी के कर्तव्य :-

- क केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत करने पर इस अधिनियम की धारा 182क के तहत किसी मोटर वाहन के विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करना;
- ख केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 127ख के अनुसार निलंबन नोटिस जारी करना;
- ग स्वत: संज्ञान लेकर रीकॉल नोटिस जारी करना, जहां उनके पास यह मानने का उचित आधार हो कि कोई मोटर वाहन दोषपूर्ण मोटर वाहन है और वह दोष उसी डिजाइन या निर्माण के वाहन के एक ग्रुप में या उसी प्रकार या विनिर्माण के उपस्कर की मद में मौजूद है और जो डिजाइन, निर्माण और सज्जीकरण चरण में हुआ है और उसकी पहले से ही आपूर्ति की गई या उपभोक्ता को उपलब्ध कराया गया है:
- घ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उप सचिव के पद से ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद विनिर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी करना।
- ड. चल रहे रिकॉल के बारे में सभी विनिर्माताओं से जानकारी प्राप्त करना।

2318 GI/2021 (1)

- च लेखापरीक्षा से संबंधित रखे गए रिकॉर्ड के बारे में विनिर्माता की लेखापरीक्षा करना और लेखापरीक्षा के दौरान केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अनुबंध XII के खंड (15) के अनुरूप निष्कर्षों के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपना।
- छ केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 127ग के अनुसार जुर्माना लगाना।

[फा. सं. आरटी-11036/63/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS ORDER

New Delhi, the 1st April, 2021

**S.O.** 1655(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 110A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) read with sub-rule (7) of rule 127A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby appoint Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport & Highways as the "Designated Officer".

### 2. Duties of the Designated Officer: -

- a. Initiate the proceedings against the manufacturer, importer or retrofitter of a motor vehicle under section 182 A of the Act on submission of the report and findings by the investigation officer as specified by the Central Government;
- b. Issuance of suspension notice as per rule 127B of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;
- c. Issuance of recall notice suo moto, where he has reasonable grounds to believe that a motor vehicle is defective motor vehicle and that defect exist in a group of vehicle of same design or manufacture or items of equipment of the same type and manufacture and which originated at design, manufacturing and assembly stage and that it has already been supplied or made available to the consumer;
- d. Issuance of show cause notice to the manufacturer after obtaining the prior permission of an officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.
- e. To receive information from all the manufacturers about the ongoing recalls.
- f. To audit the manufacturer about the records kept in regard to audit and submit the report to the Central Government about the findings during the audit in accordance with clause (15) of Annexure XII of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- g. Imposing fine in accordance with rule 127C of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

[F.No. RT-11036/63/2019-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.